



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2018 (MAGHA 5, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 2018

संख्या 29/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017, (2017 का 19), (जिसे, इस अधिसूचना में, इसके बाद "उक्त अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के साथ पठित, हरियाणा के राज्याल, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 125/एसटी-2, दिनांक 14 नवंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 125/एसटी-2, दिनांक 14 नवंबर, 2017 में,

(1) सारणी में,—

(क) क्रम संख्या 1 के सामने,—

(i) खाना 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अस्पताल से भिन्न हों;

(ii) खाना 4 में, “विज्ञान और अनुसंधान विभाग”, शब्दों के स्थान पर, “विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 2 और 4 के सामने खाना (4) में, “विज्ञान और अनुसंधान विभाग” शब्दों के स्थान पर, “विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(2) सारणी के पश्चात्, विद्यमान व्याख्या को व्याख्या 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित की गई व्याख्या 1 के पश्चात्, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात् :-

“**व्याख्या 2.**— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए दी जानी वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना संख्या 51/96—सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसे सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खंड—3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवंबर, 2017 से लागू होगी।”

आशिमा बराड़,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 2018

No. 29/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with sub-section (3) of section 11 of the said Act, the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, makes the following amendments in the notification of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 125/ST-2, dated the 14th November, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 125/ST-2, dated the 14th November, 2017,-

- (1) in the Table, -
 - (a) against serial number 1, -
 - (i) in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a hospital”;
 - (ii) in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall be substituted;
 - (b) against serial numbers 2 and 4, in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall respectively be substituted.
- (2) after the Table, the existing *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

“**Explanation 2.**— For the the purposes of this notification, exemption shall be in line with the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and is applicable with effect from the 15th November, 2017.”

ASHIMA BRAR,
Special Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.